# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 356/2006</u>

श्री नवीन कुमार खरे,
द्वारा–श्री आर. एल. खरे,
शिवम् निवास,
रूद्री रोड, गोकुलपुर, .......... अपीलार्थी
धमतरी (छत्तीसगढ़)

**विरूद्ध**

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .......... प्रतिअपीलार्थी

## :: आदेश ::

( दिनांक 08 नवम्बर 2006 )

श्री नवीन कुमार खरे के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा भौतिक शास्त्र विषय लेकर सन् 2005 में दी गई थी। प्रथम बार घोषित परिणाम में वह उत्तीर्ण हुआ तथा दूसरी बार घोषित परिणाम में उसे असफल घोषित किया गया। अपीलार्थी ने विषयवार एवं वर्गवार सफल उम्मीदवारों की सूची सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की। उसने यह भी मांग की कि प्रथम बार घोषित परीक्षा में भौतिक शास्त्र विषय के कितने अभ्यर्थी घोषित हुए तथा अन्य विषयों के कितने तथा दूसरी बार घोषित परिणाम के संबंध में भी इसी प्रकार की जानकारी की मांग की। सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि राज्य सेवा परीक्षा–2005 की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी ने प्रथम अपील सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

**2/** आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एंव तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि प्रथम बार उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया था तथा द्वितीय बार उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया गया तथा स्क्रीनिंग टेस्ट की जानकारी उसे प्राप्त होना चाहिए। प्रतिअपीलार्थी ने परीक्षा की गोपनीयता बनाये रखने के लिए अंतिम परिणाम घोषित होने तक परीक्षा में प्राप्तांकों की जानकारी अभ्यर्थियों को दिया जाना लोकहित में नहीं बतलाया।

**3/** प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा सन् 2005 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भौतिक शास्त्र विषय तथा अन्य विषयों के सफल अभ्यर्थियों की जानकारी चाही थी। प्रतियोगी परीक्षाएँ गोपनीय स्वरुप की है तथा यदि अंतिम परिणाम घोषित होने के पूर्व इस प्रकार की जानकारी यदि प्रकटन की जाती है तो परीक्षा की विश्वसनीयता तथा गोपनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(जे) के अंतर्गत ऐसी जानकारी जिसमें कि सार्वजनिक हित सन्निहित नहीं है जानकारी दिया जाना बंधनकारी नहीं है। चूँकि वर्ष 2005 में आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की चयन प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अतः ऐसी स्थिति में भी परीक्षा की आंशिक जानकारी दिया जाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

**हस्ता0/– 8–11–2006**
**( ए. के. विजयवर्गीय )**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त